




राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

परिवहन भत्ता हेतु आवेदन पत्र

1. नाम बालक/बालिका.....
2. पिता का नाम.....
3. जन्म तिथि..... कक्षा.....
4. स्थानीय पता.....
5. एस.आर. न0..... दोष का प्रकार एवं प्रतिशत.....
6. नोडल/पीईईओ..... ब्लॉक.....
7. विद्यालय..... डाईस कोड.....
8. घर से विद्यालय की दूरी.....
9. आधार कार्ड नम्बर.....
10. खाता संख्या..... IFSC Code.....
11. बैंक का नाम.....
12. वाहन का प्रकार (यदि कोई हो) जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
13. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का नाम.....
14. अनुमानित प्रति माह व्यय राशि.....
15. क्या बालक-बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया एवं ले जाया जाता है.....



फोटो

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं
बालक/बालिका..... उक्त विद्यालय की कक्षा..... में
अध्ययनरत है तथा उक्त बालक/बालिका को परिवहन भत्ते हेतु ₹..... प्रतिमाह भत्ता
प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र/छात्रा.....
पुत्र/पुत्री श्री..... विद्यालय..... को
परिवहन भत्ते ₹..... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित.....